भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2011–12 निगरानी — 1069-III/12 (44)

श्री दिनेश व्यास अभि० द्वारा आज दि. 12-4-12 को रीडर बोर्ड पर प्रस्तुत। 12-4-12 रीडर

12.4.12

18.4.12

1– नाथुलाल पिता भैरूलाल पाटीदार

2– नंदलाल पिता कारूलाल पाटीदार

निवासीगण–ग्राम बोरखेड़ा, तह. पिपलोदा जिला रतलाम

—— आवेदक

विरूद्ध

1. रामप्रसाद पिता बद्रीलाल ब्राम्हण
2. मोहनलाल पिता मांगीलाल कुलम्बी
3. कचरू पिता मांगीलाल हीरालाल जाट
4. राजु पिता नागुलाल जाट
5. जगदीश पिता अमरा बलाई
6. शान्तिलाल पिता नाथुलाल पाटीदार

समस्त निवासीगण–ग्राम बोरखेड़ा तह. पिपलोदा जिला रतलाम

——अनावेदकगण

<u>पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता</u>

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर रतलाम के आदेश दिनांक 15/02/12 प्रकरण क्रमांक 1/10–11 निगरानी से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्नलिखित कारणो के आधार पर पुनरिक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

1. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने प्रकरण की वस्तु स्थिति को देखे व समझे बगैर उसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की है ।

4. यह कि, अनावेदक को प्राकृतिक पानी के बहाव को बदलने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है । अनावेदक ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के शासकीय रास्ते को खोदकर उसके बीच में पाईप डालकर उसका बहाव आवेदक की ओर कर दिया तथा उस

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

47

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1069-एक/12 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	